संख्याः— 151 / XVIII(II)/2021—01(49)/2018

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग—2 **देहरादूनः दिनांकः 25 फरवरी, 2021**

विषयः—डा0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट देहरादून को ग्राम कोठड़ा सन्तौर एवं ग्राम झाझरा परगना पछुवादून तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून में श्री देव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज के अनुपूरक विस्तार हेतु 2.5310 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या—850 / 12ए—107 (डी0एल0आर0सी0), दिनांक 20 जून, 2019 तथा पत्र संख्या—104 / 12ए—12 (2020—23)डी0एल0आर0सी0—2021, दिनांक 21 जनवरी, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डा0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट देहरादून को श्री देव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज के अनुपूरक विस्तार हेतु ग्राम झाझरा के खाता संख्या—366 में खसरा नम्बर 1160ड मि0 रकबा 0.5410 है0, खाता संख्या 252 में खसरा नम्बर 1160ड मि0 रकबा 0.1540 है0, खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 1160ग मि0 रकबा 0.8900 है0, खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 1160ग रकबा 0.1240 है0 कुल रकबा 1.7090 है0 पृथक—पृथक खातेदारों से भूमि कय करने की अनुमति चाही गयी है तथा ग्राम कोठड़ा सन्तौर के भूमि खाता संख्या 100 खसरा नम्बर 360ख मि0 रकबा 0.0600 है0, खसरा नं0—363 रकबा 0.0020 है0, ख0नं0—367 रकबा 0.0070 है0, खाता संख्या 281 में खसरा नम्बर 308क रकबा 0.1870 है0, खसरा नं0—366 रकबा 0.2100 है0, खाता संख्या 203 में खसरा नम्बर 360ख मि0 रकबा 0.060 है0, 363ख मि0 रकबा 0.0020 है0, ख0नं0—367ख रकबा 0.007 है0, खाता संख्या 126 में खसरा नम्बर 360क रकबा 0.1200 है0, 363क रकबा 0.0120 है0, 367क रकबा 0.070 है0, खाता संख्या—75 में खसरा नम्बर 350ख रकबा 0.0760 है0, ख0नं0—351 रकबा 0.0090 है0 कुल रकबा 0.8220 है0 दोनों ग्रामों में कुल रकबा 2.5310 है0 कय की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2— उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट देहरादून को श्री देव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज के अनुपूरक विस्तार हेतु ग्राम झाझरा में विभिन्न खसरा नम्बरानों में कुल रकबा 1.7090 है0 तथा ग्राम कोठड़ा सन्तोर में विभिन्न खसरा नम्बरानों में कुल रकबा 0.8220 है0 इस प्रकार दोनो ग्रामों में कुल रकबा 2.5310 है0 भूमि कय की अनुमति उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा—154 (4)(3)(क)(I) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

....2

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (श्री देव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज के अनुपूरक विस्तार हेतु) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगें।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– ट्रस्ट द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग श्री देव सुमन सुभारती मैडिकल कॉलेज के अनुपूरक विस्तार के लिए ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यो हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है, तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरूद्व विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

7– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

8– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9– भूमि का विक्रय उस उपयोग हेतु शासन की अनुमति से किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए शासन द्वारा क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है।

10– ट्रस्ट द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनिमय, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये जाने वाले हॉस्पिटल में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

.....3

12— चिकित्सा प्रयोजन (अस्पताल निर्माण) का निर्माण किये जाने सम्बन्धी आई0पी0एच0एस0 मानकों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

13— अन्य किसी प्रकार की विधिक अनियमितता के लिए संस्था पूर्णत स्वयं उत्तरदायी होगी।

14— सम्बन्धित सोसाईटी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

15— सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16— सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी उस भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगें।

17— ट्रस्ट को योजना प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी यथा आवश्यक स्वीकृतियां समिति द्वारा प्राप्त की जायेगी।

18— उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में अथवा किन्ही अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

3— कृपया, तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव।

संख्या–151 /XVIII(II) /2021,तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— प्रशासनिक अधिकारी, डा0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट कोटड़ा सन्तौर, देहरादून।
5— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।